पत्र संख्या-विधि-2-(1)-प्रवेश कर संसाधन- 149(2008-2009)/614 / 0910041 / वाणिज्य कर,

कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ,

(विधि अनुभाग)

दिनांक:: लखनऊ::अगस्त 13 ,2009

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर ,वाणिज्य कर
उत्तर प्रदेश ।

मुख्यालय के संज्ञान में आया है कि स्टैनलेस स्टील एवं स्टैनलेस स्टील पट्ठा पर प्रवेश कर की देयता के बिन्दु पर कुछ भ्रम है । इस संदर्भ में उल्लेखनीय है कि स्टैनलेस स्टील को ही कई स्थानों पर स्टैनलेस स्टील पट्ठा भी कहा जाता है, जिसका उपयोग बर्तनों के निर्माण में होता है ।

2- उल्लेखनीय है कि भारत सरकार के डिपार्टमेन्ट आफ इकोनामिक अफेयर्स के पत्र संख्या- 4(2) एस0टी0/ 58 दिनांक 12-11-1958 द्वारा स्पष्ट किया गया है कि

‘ Stainless steel comes under category of tool alloy. Ordinarily, tool alloy steel is that steel, mixed with some other metals, from which tools are generally made . For instance, stainless steel, high speed steel steel, oil-hardening non-shrinking steel, carbon tool steel, chiserl steel, high-carbon high-chromium steel, chromium steel, oil-steel, W.P.S. steel,spring steel,etc. are all tool alloy steel.‘

3- सर्वश्री बजाज स्टील इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, फजलगंज कानपुर के सम्बन्ध में व्यापार कर अधिनियम की धारा-35 के अन्तर्गत दिनांक 25-2-2008 को कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश द्वारा निर्णय दिया गया है जिसमें स्टैनलेस स्टील को एक विशेष प्रकार का स्टील होने का मत स्थिर किया गया है । धारा-35 के इस निर्णय दिनांक 25-2-2008 में यह उल्लेख किया गया है कि ‘ सर्वश्री राज रोलिंग मिल्स मुरादाबाद के मामले में धारा-35 के अन्तर्गत जो निर्णय तत्कालीन कमिश्नर बिक्रीकर के द्वारा दिया गया है, में केन्द्रीय बिक्रीकर अधिनियम की धारा-14 की प्रविष्टि का विस्तृत विवेचन करते हुये यह स्पष्ट मत व्यक्त किया गया है कि स्टैनलेस स्टील एक प्रकार का विशेष स्टील होता है जिसमें 13 प्रतिशत क्रोमियम और 0.3 प्रतिशत कार्बन होता है । निर्णय में यह भी स्पष्ट मत व्यक्त किया गया है कि स्टैनलेस स्टील वास्तव में टूल एलॉय और स्पेशल स्टील ही है । अत: केन्द्रीय बिक्रीकर अधिनियम की धारा-14 के अन्तर्गत घोषित वस्तुओं में आता है । मा0 इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सर्वश्री सेल्स लिंकर्स, शिवपुरी, मुरादाबाद के मामले में भी स्टैनलेस स्टील को ऑयरन स्टील की ही भॉति मानते हुये करारोपण को उचित ठहराया गया है ।

4- इस प्रकार भारत सरकार के डिपार्टमेन्ट आफ इकोनामिक अफेयर्स के उपरोक्त पत्र दिनांक 12-11-1958 तथा कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश के उक्त निर्णय दिनांक 25-2-2008 को दृष्टिगत रखते हुये स्टैनलेस स्टील / स्टैनलेस स्टील पट्टा के केन्द्रीय बिक्रीकर अधिनियम की धारा-14 में यथापरिभाषित ऑयरन स्टील की विभिन्न श्रेणियों में से क्रमांक- (ix) पर उल्लिखित **tool , alloy and special steels of any of the above categories** में ही सम्मिलित होने का संकेत मिलता है ।

5- यहाँ पर यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि यद्यपि वैट अधिनियम की अनुसूची-2 के क्रमांक-40 पर ऑयरन एण्ड स्टील वर्गीकृत है तथा क्रमांक- 266 पर स्टैनलेस स्टील पट्टा आदि वर्गीकृत है लेकिन प्रवेश कर अधिनियम एक अलग अधिनियम है जिसमें वैट अधिनियम के वर्गीकरण को आधार नहीं माना जा सकता । उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम-2007 के अन्तर्गत विज्ञप्ति संख्या-क0नि0-2-2757/ ग्यारह-9-(1)/08-यू0पी0एक्ट-30/07-आर्डर (31)-08 दिनांक 29-9-2008 के द्वारा केन्द्रीय बिक्रीकर अधिनियम -1956 की धारा-14 में यथापरिभाषित लोहा और इस्पात पर एक प्रतिशत की दर से करदेयता निर्धारित की गयी है जो उक्त विज्ञप्ति के क्रम संख्या-14 पर उल्लिखित है तथा इस विज्ञप्ति को संशोधित करते हुये विज्ञप्ति संख्या- क0नि0-2-104/ ग्यारह-9-(1)/08-यू0पी0एक्ट-30-2007-आदेश (38)-2009 दिनांक 15-1-2009 द्वारा कतिपय कच्चे माल को छोड़कर लोहा और इस्पात पर प्रवेश कर निर्धारित है । परिणामत: स्टैनलेस स्टील / स्टैनलेस स्टील पट्टा पर भी प्रवेश कर की देयता होने का संकेत मिलता है ।

6- अत: भारत सरकार के डिपार्टमेन्ट आफ इकोनामिक अफेयर्स, धारा-35 के उक्त निर्णय दिनांक 25-2-2008 एवं इस निर्णय में मा0 उच्च न्यायालय के उल्लिखित विभिन्न निर्णयों को दृष्टिगत रखते हुये तथा विधिक परीक्षण करते हुये नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें ।

ह0/-
(अनिल संत)
कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।

<u>पृष्ठांकन पत्र संख्या व दिनांक उक्त ।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रमुख सचिव, कर एवं निबन्धन, उत्तर प्रदेश शासन ।
2- संयुक्त सचिव, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन ।
3- अध्यक्ष / निबन्धक, उत्तर प्रदेश वाणिज्य कर, लखनऊ एवं समस्त सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश ।
4- समस्त एडीशनल कमिश्नर , वाणिज्य कर, मुख्यालय ।
5- समस्त ज्वाइण्ट कमिश्नर (कार्य पालक / अपील) वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।
6- अपर निदेशक / संयुक्त निदेशक / उपनिदेशक / सहायक निदेशक, वाणिज्य कर प्रशिक्षण संस्थान, गोमतीनगर, लखनऊ ।
7- समस्त आन्तरिक सम्परीक्षा दल वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।
8- समस्त डिप्टी कमिश्नर /असिस्टेन्ट कमिश्नर / वाणिज्य कर अधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
9- समस्त अनुभाग अधिकारी, वाणिज्य कर मुख्यालय ।

ह0/-
(वाई0एस0सिंह)
ज्वाइण्ट कमिश्नर (विधि) वाणिज्य कर,मुख्यालय ।